Need to review and refix the norms of creamy layer ? Laid

श्री धर्मेन्द्र यादव **(आज़मगढ़) :** 1993 में गठित क्रीमी लेयर संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, आय का मानदंड निर्धारित किया गया था, जिसमें कृषि और वेतन से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय विचारणीय है । इस रिपोर्ट को 1993 में संसद में पेश किया गया था और उस पर ही आधारित नीति बनाई गई थी । 1992 में इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर होना चाहिए, न कि सिर्फ आय पर । न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जब कोई व्यक्ति अपने वर्ग के सामाजिक और आर्थिक स्तर से ऊपर उठ जाता है, तो उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए । क्रीमी लेयर के मानदंडों को पुनर्निर्धारित किया जाए ताकि वास्तविक सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जा सके । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और संसदीय समितियों की रिपोर्टों के अनुरूप नीतियों को लागू किया जाए । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाए ।